उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

वी.रामसिंह एवं अन्य

5 सितम्बर,2007

(डॉ. अरितजीत पासायत और डी.के. जैन, जे.जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

दोषसिद्वि के विरूद्व- दोषसिद्वि अन्तर्गत धारा 302/34 और 201 भा.दं.सं. के विरूद्व अपील में उच्च न्यायालय ने अभियेाजन साक्षी को विरोधाभासी और अविश्वसनीय पाया- इसके अलावा मृत शव एक माह बाद एक तालाब से प्राप्त हुआ - पहचान केवल शव पर पहने हुए कपडों पर आधारित-चश्मदीद साक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं है- उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त- विरूद्व अपील- अभिनिर्धारित: बरी किये जाने के खिलाफ अपील के सम्बन्ध में सिद्वान्तों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों पर , उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष और बरी करने के आदेश किसी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है-धारा 302/34 और 201, दण्ड संहिता 1860-अनुच्छेद 136 - भारत का संविधान

तीन अभियुक्त- उत्तरदाताओं पर धारा 302/34 एवं 201 भा.दं.सं. के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि घटना के दिन, जब दिन के काम के बाद पी.डब्ल्यू-1, सूचना देने वाली,अपने पति और अपने बेटे पी.डब्ल्यू-7 के साथ, लगभग सूर्यास्त के समय घर लौट रहे थे, तो तीन आरोपी जो गंडसे,बल्ला और लाठी से लैस थे। पीछे से आये और उसके पति पर हमला कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंच गये, लेकिन जब अभियुक्तों ने उनका पीछा किया तो वे वहां से चले गए। अभियुक्त ने पीडित को पैर पकडकर घसीटा बाद में कहा गया कि पीडब्ल्यू-1 गांव के चौकीदार के साथ घटना स्थल पर लौट आयी थी , लेकिन वे मृतक के शव का पता नहीं लगा सके। पीडब्ल्यू-1 ने अगले दिन सुबह 9.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा जाता है कि एक महीने के बाद गांव के चौकीदार की निशादेही पर एक तालाब से एक क्षत विक्षत शव बरामद किया गया था और शव पर पहने हुए कपडों के आधार पर पी.ड.1 द्वारा उसकी पहचान उसके पति के रूप में की थी विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को लगाये गये अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अभियुक्तों ने शव की पहचान के लिए अपनी चुनौती दौहराते हुए कहा कि शव परीक्षण रिपोर्ट से संकेत

मिलता है कि शरीर पर चोट, कटाव या फ्रेक्चर के कोई निशान नहीं थे और खोपडी और गर्दन के नीचे से कलाई तक के अधिकांश अंग गायब पाए गए। उच्च न्यायालय ने पाया कि पीडब्ल्यू-4,जिसे चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था, जांच के दौरान दिए गए बयानों से मुकर गया था, पीडब्ल्यू-1 के बयान विरोधाभासी थे और उसकी साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, मुकदमे के दौरान उसका आचरण निष्कपट नहीं था , हालांकि वह मृतक से शादी कर चुकी थी, लेकिन घटना के समय वह उसके साथ नहीं रह रही थी,जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि दो पात्रों की मुहरों जिसमें खून से सना मिट्टी और नमूने रखेे गये थे, के साथ छेडछाड की गई थी, उसने केस डायरी पेश नहीं की। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह साबित करने के लिए कोई निश्चित सामग्री के अभाव में कि बरामद किया गया शव मृतक का था, अभियोजन पक्ष का बयान संदिग्ध था। बाल गवाह ;पीडब्ल्यू-7द्ध का साक्ष्य, जो घटना के समय 5 से 6 वर्ष का था, यानी अदालत में उसके बयान से दो साल पहले, विश्वसनीय नहीं था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे पढाया गयाथा। इन परिस्थितियों में ,उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा, और अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इससे व्यथित होकर, राज्य ने तत्काल अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते समय यह सिद्वान्त पालन किया जाना चाहिए कि केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है, और इस प्रक्रिया और विश्वसनीय सामग्री को अनुचित रूप से समाप्त कर दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक अनिवार्य कारण है। वर्तमान उच्च न्यायालय द्वारा बताये गये कारणों से बरी करने का आदेश हस्तक्षेप करने के लिए किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

शिवाजी साहबराव बोबडे अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,एआईआर (1973) एससी 2622 , रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, (1996) 4 सर्वोच्च 167, जसवंतसिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 3 सर्वोच्च 320, राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2003) 7 सर्वोच्च 152, पंजाब राज्य बनाम करनैलसिंह, (2003) 5 सुप्रीम 508 पंजाब राज्य बनाम पोहलासिंह एवं अन्य (2003) 7 सर्वोच्च 17, वी.एन. रतीश बनाम केरल राज्य, (2006) 10 एस.सी.सी. 617 भगवानसिंह और ओआरएस बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2002) 2 सर्वोच्च 567 पर भरोसा किया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 448/2001

1980 की आपराधिक अपील संख्या 1706 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय व दिनांक 17.12.1999 से ।

अपीलार्थी के लिए मोहम्मद. फैजल खान, अनुवर्त शर्मा, वी.के. शुक्ला और प्रवीण स्वरूप।

उत्तरदाताओं के लिए सद्भावना इंडीवर, वरूण गोस्वामी और अनु मोहला।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ.अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में भा.दं.सं.) और धारा 201 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए उत्तरदाताओं की सजा को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है

प्रत्येक उत्तरदाता को आईपीसी की धारा 302/34 से सम्बन्धित अपराध के लिए आजीवन कारावास व अन्य सी अपराध के लिए चार साल की सजा सुनाई गई थी।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है ।

डालचंद ;इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भितद्ध अपनी पत्नी के साथ श्रीमती राज कौर, सूचना देने वाली (पीडब्ल्यू-1) और उनका बेटा

अमरजीतसिंह (पीडब्ल्यू-7) अपने मवेशियों को चराने गये थे। लगभग सूर्यास्त के समय जब वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। वे गंगाराम के आंगन में पहुंचे । झाडियों के पीछे से निकले अपीलकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। अभियुक्त रामवीरसिंह के पास गंडासा था सुरेश के पास बल्ला था और चेतराम के पास लाठी थी उन्होंने अपने अपने हथियारों से मृतक डालचंद को छोडना नहीं की बात कहकर मारपीट शुरू कर दी उपरोक्त गवाह और पीडिता की चीख पुकार में मोहनपुर निवासी छोटे, गंगाराम और ज्ञानसिंह को घटनास्थल पर आकर्षित किया। उनके ललकारने पर हमलावरों ने पीडित को उसके पैरों से पकडकर खींचना शुरू कर दिया। जब उन्हें चुनौती दी गई तो वे गवाहों की ओर भी दौडे और इसके बाद गवाहों ने हमलावरों का पीछा करना छोड दिया। वे वापिस आ गये और कुछ समय बाद सूचना देने वाली गांव के चौकीदार के साथ मौके पर गई थी। घटनास्थल पर उसे अपने पति का शव नहीं मिला, हालांकि वहां खून पडा हुआ पाया गया। डालचंद की तलाश उसकी पत्नी ने रातभर की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। उसके द्वारा किसी भी ग्रामीण को सूचित नहीं किया गया जैसाकि एफ.आई.आर. से स्पष्ट है कि इस हत्या का मकसद भदरिया निवासी रघुवीरसिंह की हत्या का बदला लेना था । रामवीरसिंह को संदेह था कि रघुवीर की हत्या के पीछे मृतक डालचंद का हाथ है । वर्तमान घटना की एफआईआर श्रीमती राजकौर के द्वारा पुलिस थाना गणेशखेडा में अगले दिन सुबह 9.15 बजे दर्ज कराई।

घटना के एक महीने बाद पीडित का शव एक तालाब से बरामद किया गया जो पानी से भरा हुआ था । इसकी खोज सबसे पहले गांव के चौकीदार ने की थी । उसने श्रीमती राजकौर को सूचित किया राजकौर ने गांव भदरिया के तालाब से बरामद लाश की पहचान अपने पति डालचंद के रूप में की । शव के पहने कपडों से ही पहचान हुई लाश की पहचान होने के बाद शाम करीब 7 बजे सम्बन्धित पुलिस थाने को सूचना दी जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और आरोप तय किये गये।

3. अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोष होने का दावा किया। उन्होंने गंभीर रूप से चुनौती दी मृतक के रूप में मृत शरीर की पहचान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया और दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई, जैसाकि ऊपर कहा गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों ने दलील दी कि शव परीक्षण डॉ.केे.एस तिवारी (पीडब्ल्यू-2) द्वारा किये गये परीक्षण ने संकेत दिया कि शरीर पर कोई निशान नहीं थे चोट से। गर्दन के नीचे से कलाई तक के अधिकांश अंग गायब पाये गये थे।

डॉक्टर द्वारा खोपडी भी गायब पाई गई लेकिन खोपडी की हड्डिया मिल गई। अक्षुण उन पर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं था , यानी कोई कट या फ्रेक्चर नहीं था अत्यधिक विघटित अवस्था में पाया जाता है। कपडों पर कोई निशान नहीं था हथियारों या खून के धब्बों से हमला। यह

भी प्रस्तुत किया गया कि सबूत पीडब्ल्यू- ने आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं किया। उनकी गवाह विरोधाभासों से भरी हुई थी और यह स्पष्ट था कि वह सच नहीं बोल रही थी, के प्रमाण बाल गवाह (पीडब्ल्यू-7) को भी नाजुक पाया गया और अदालत को इस पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी।

4. दूसरी ओर, राज्य का रूख यह था कि अभियुक्त व्यक्तियों पर दोष मढने के लिए सबूत पर्याप्त थे।

5. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और विचारण न्यायालय के निष्कर्षो का विश्लेषण किया जिसमें कहा गया कि पी.ड.4 छोटेलाल, जिस पर अभियेाजन पक्ष ने चश्मदीदों में से एक होने का दावा किया था , जांच के दौरान दिये गये बयानों से मुकर गया। पता चला कि शव करीब एक माह बाद पानी से भरे तालाब में मिला है। पी.ड.1 का साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया गया उसने दावा किया कि वह चली गई थी अपने पति के खून के साथ पुलिस स्टेशन गई थी जिससे अगली सुबह घटनास्थल से एकत्र किया गया था। उसके मुताबिक ऐसा उसने एर्फ.आइ.आर. दर्ज कराने के बाद किया था । उच्च न्यायालय ने उसकी गवाही पर गौर किया कि सबसे पहले वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई थी। उसके बाद वह वापिस आयी और दूसरी बार खून लेकर थाने गई। उसने स्वीकार किया कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और दिन भर बारिश होती रही। उसने स्वीकार किया कि जब वह पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट

करने गई थी, बारिश हो रही थी। शाम तक बारिश जारी रहने के कारण वह बाहर नहीं आयी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वह घटनास्थल से लिये गये खून के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। जांच अधिकारी ने भी उसके बयान का खंडन किया ,जिसने कहा कि उसने अगले दिन घटना स्थल से खून और मिट्टी का नमूना बरामद किया था। पी.ड.1 द्वारा दिये गये कई विरोधाभासी बयानों के मद्दे नजर उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के समय को संदिग्ध पाया। जांच अधिकारी ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि जिन दो पात्रों में खून से सना मिट्टी और नमूने रखे गये थे, उनकी मुहरों के साथ छेडछाड की गई थी।

6. जांच अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उसने दिनांक 31.08.1978 को छोटे लाल ;पी.ड.4द्ध का बयान दर्ज किया था। क्योंकि यह गवाह पहले से उपलब्ध नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के द्वारा केस डायरी पेश नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए कि किसी निश्चित सामग्री के अभाव में शव मृतक का ही था , अभियोजन पक्ष की बात उस हद तक संदिग्ध हो गई थी। चूंकि पीडब्ल्यू-4 ने पहले दिये गये अपने बयान से मुकर गया,इसलिए उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य की विस्तार से जांच की। उसकी साक्ष्य के संदर्भ में, यह देखा गया कि मृतक

के साथ उसका सम्बन्ध संदेह से मुक्त नहीं था । उसने दावा किया कि उसकी शादी मृतक से हुई थी। लेकिन बाल गवाह, जिसका सबूत अन्यथा आरोपी के अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया था, ने कहा कि वह सम्बन्धित तिथि पर मृतक के साथ नहीं रह रही थी। उच्च न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया था कि गांव का चौकीदार जिसके द्वारा शव की खोज की गईएपरीक्षित नहीं हुआ और परीक्षित नहीं होने बाबत अभियेाजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के दौरान पीडब्ल्यू.1 का आचरण पूरी तरह से निष्कपट नहीं था। उसने यह दिखाने के लिए अदालत में एक हलफनामा और एक आवेदन दायर किया कि उसे घटना के बारे में पता नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने पाया कि ये कागजात प्रदर्शित नहीं किये गये थे , फिर भी पीडब्ल्यू-1 की इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि उसने वास्तव में इन दस्तावेजों पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था, पाया कि यह पीडब्ल्यू-1 की विश्वसनीयता पर संदेह करने वाला एक कारक है।

7. जहां तक परमजीत (पीडब्ल्यू-7) का सम्बन्ध है, उसकी साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं पाई गई क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे पढाया गया था। जब उसने 11.07.1980 को बयान दिया तब उसकी उम्र लगभग 7-8 साल की थी यह घटना 24.08.1971 को घटित थी। यानि उसके बयान से

लगभग दो साल पहले। यानि घटना के वक्त करीब 5-6 साल का था। उच्च न्यायालय ने उसकी साक्ष्य के संदर्भ में पाया कि उसने अदालत में जो गवाही दी वह पढाने का परिणाम थी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोप को स्थापित करने में विफल रहा है।

8. हालांकि राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि परिस्थितियां अभियोजन पक्ष द्वारा उजागर किये गये दोषसिद्वि को दर्ज करने के लिए पर्याप्त थे, हम पाते है कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रांसगिक पहलूओं की विस्तार से जांच की है और आधार पर बरी होने के फैसले को दर्ज किया है।

9.साक्ष्य की समीक्षा करने वाले अपीलीय न्यायालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस पर दोषमुक्त करने का आदेश आधारित है। आम तौर पर , बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्देष होने का अनुमान बरी होने से और मजबूत होता है। आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल में जो सुनहरा धागा चलता है , वह यह है कि यदि मामले में पेश किये गये साक्ष्य पर दो विचार संभव है, एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण , जो आरोपी के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। सर्वोपरि विचार न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि

न्याय की विफलता को रोका जाये। न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराये जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की उपेक्षा की जाती है, अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य बनता है कि कि वह साक्ष्य की फिर से सराहना करे जहां अभियुक्त को बरी कर दिया गया है । यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तव में कोई अपराध्श किया है या नहीं । भगवानसिंह एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2002) 2 सुप्रीम 567 को देखें। बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ अपाील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किये जाने वाले सिद्वान्त का पालन केवल तभी किया जाना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों। यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और इस प्रक्रिया में प्रांसागिक और विश्वसनीय सामग्री को अनुचित रूपसे समाप्त कर दिया गया है- यह हस्तक्षेप का एक सम्मोहक कारण है। इन पहलूओं को इस न्यायालय द्वारा में उजागर किया गया था । शिवाजी साहब राव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. (1973) एस.सी.2622, रमेश बाबूलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य (1996) 4 सुप्रीम 167, जसवंतसिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 3 सुप्रीम 320, राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2003) 7 सर्वोच्च 152 , पंजाब राज्य बनाम करनैलसिंह, (2003) 5 सुप्रीम 508 पंजाब राज्य बनाम

पोहलासिंह एवं अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 17 और वी.एन. रतीश बनाम केरल राज्य, (2006)10 एससीसी 617

10. तत्काल मामले में , हम पाते है कि उच्च न्यायालय द्वारा बताये गये कारण बरी किये जाने के आदेश को दर्ज करने के लिए न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी किरण कुमार चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।